455

**संख्याः 399 /VII-1/61–ख/2014**

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**औद्योगिक विकास अनुभाग–1** **देहरादून : दिनांकः 23 अप्रैल, 2015**

**विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत "खनन प्रशासन का अधिष्ठान" के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित वचनबद्ध/अवचनवद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत "खनन प्रशासन का अधिष्ठान" के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित वचनबद्ध/अवचनवद्ध मदों की समस्त धनराशि रू0 **धनराशि रू0 74908 हजार (रू0 सात करोड़ उन्चास लाख आठ हजार मात्र)** संलग्न अलॉटमेन्ट आई0डी0 **S1504230113 दिनांक 09 अप्रैल, 2015** के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**(I)–** स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनॉक 28 मार्च, 2012 तथा तद्‌क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

1. उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

2. प्रश्नगत धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण किश्तों में किया जायेगा।

3. वचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

4. वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर 128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रण अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तक तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आंवटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगें।

5. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विषेशकर अवचनबद्ध मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं/अथवा अत्याधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में धनांवटन हेतु सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग के माध्यम से वित्त विभाग की पूर्व सहमति अवश्य ली जायेगी। कतिपय प्रकरण जिनमें पहली बार व्यय किया जा रहा हो उसके सम्बन्ध में भी धनांवटन वित्त विभाग की सहमति से ही निर्गत किया जायेगा।

6. मानक मद 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता तथा मानक मद–42– अन्य व्यय (जिला योजना एवं केन्द्रपोषित योजनाओं को छोड़कर) अन्तर्गत धनांवटन वित्त विभाग की पूर्व सहमति से किया जायेगा।

7. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

8. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। पुनर्विनियोग का प्रयोग नितान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में बजट मैनुअल के प्रस्तर–134 (पुराना प्रस्तर–151) के अन्तर्गत प्रस्ताव का परीक्षण कर वित्त विभाग की सहमति पर ही किया जाय और पुनर्विनियोग की प्रत्याशा में बजट प्राविधान से अधिक किसी भी मद, विशेषकर अवचनबद्ध में व्यय भार सृजित न किया जाय।

9. कई मामलों में अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट प्राविधान कराने के उपरान्त उस राशि अथवा उससे भी अधिक धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अन्य मदों अथवा लेखाषीर्शकों में व्यावर्तित करायी जाती है, यह स्थिति आपत्तिजनक है। मूल व अनुपूरक मांग के माध्यम से सामान्यतया बजट प्राविधान वास्तविक मांग के अनुसार ही किया जाना चाहिए और पुनर्विनियोग कराये जाने की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और ऐसा नितान्त अपरिहार्य स्थिति में ही किया जाय।

10. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय।

11. बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका

महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

12. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो। धनराषि नियमित व्यय करने के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

14. वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन क्रय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

15. सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0–10 (पुराना बी0एम0–17) प्रारूप में बजट नियंत्रण पूंजी (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/ आहरण–वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

16. प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना सम्बद्ध शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त अनुभाग–1 एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनॉक 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय, उक्त तिथि के उपरान्त अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को तत्काल शासन को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(II)– प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–23 के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 00–आयोजनेत्तर– 02–खानों का विनियमन तथा विकास– 001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर), 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान के अन्तर्गत उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(III)– यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में प्रदत्त स्वीकृति एवं इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नः अलॉटमेन्ट आई0डी0– S1504230113- दिनांक 09 अप्रैल, 2015।**

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव।

**पृष्ठांकन संख्याः ३१९ (1)/VII-1/61–ख/2014, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Industry (S023)

आवंटन पत्र संख्या - 399/61-kha/2014

अनुदान संख्या - 023

अलोटमेंट आई डी - S1504230113

आवंटन पत्र दिनांक -09-Apr-2015

HOD Name - Director Industries (2052)

1: लेखा शीर्षक 2853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग

001 - निदेशन तथा प्रशासन लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)

00 - खनन प्रशासन का अधिष्ठान

02 - खानों का विनियमन तथा विकास

03 - खनन प्रशासन का अधिष्ठान

Non Plan Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 01 - वेतन | 0 | 29000000 | 29000000 |
| 02 - मजदूरी | 0 | 2000000 | 2000000 |
| 03 - महंगाई भत्ता | 0 | 34800000 | 34800000 |
| 04 - यात्रा व्यय | 0 | 300000 | 300000 |
| 05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0 | 60000 | 60000 |
| 06 - अन्य भत्ते | 0 | 3300000 | 3300000 |
| 07 - मानदेय | 0 | 50000 | 50000 |
| 08 - कार्यालय व्यय | 0 | 200000 | 200000 |
| 09 - विद्युत देय | 0 | 400000 | 400000 |
| 10 - जलकर / जल प्रभार | 0 | 12000 | 12000 |
| 11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ | 0 | 200000 | 200000 |
| 12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0 | 200000 | 200000 |
| 13 - टेलीफोन पर व्यय | 0 | 200000 | 200000 |
| 15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट् | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व | 0 | 700000 | 700000 |
| 18 - प्रकाशन | 0 | 300000 | 300000 |
| 19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन | 0 | 300000 | 300000 |
| 22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ | 0 | 10000 | 10000 |
| 26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ | 0 | 100000 | 100000 |
| 27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 0 | 500000 | 500000 |
| 29 - अनुरक्षण | 0 | 50000 | 50000 |
| 42 - अन्य व्यय | 0 | 1000 | 1000 |
| 44 - प्रशिक्षण व्यय | 0 | 50000 | 50000 |
| 45 - अवकाश यात्रा व्यय | 0 | 50000 | 50000 |
| 46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर | 0 | 50000 | 50000 |
| 47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी | 0 | 75000 | 75000 |
| | 0 | 74908000 | 74908000 |

**Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 74908000**